श्री मति विजय लता–याचिकाकर्ता बनाम श्री राजीव अरोड़ा–प्रतिवादी

(अलका सरीज, जे.)

अलका सरीन जे के समक्ष

श्री मति विजय लता–याचिकाकर्ता

बनाम

श्री राजीव अरोड़ा–प्रतिवादी 2020 की सी. आर. एम.एम. संख्या–43025

12 जनवरी, 2021

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973.एस. एस. 340 और 195 (1) (बी) (ii)-**न्यायिक अनुशासन का सिद्धांत.प्रत्यर्थी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए मंजूरी देने के लिए दायर याचिका.याचिकाकर्ता ने चतुराई से याचिका के कुछ हिस्सों को फिर से लिख कर उसी राहत की मांग करते हुए पांचवीं बार अदालत का दरवाजा खटखटाया.अदालत ने पहले की याचिकाओं में राहत नहीं दी.मुद्दों को कई बार अंतिमता प्राप्त हुई.धारा 340** सीआरपीसी **के तहत बार–बार याचिका दायर करना। उसी कारण से** 'बेंच हंट' **का आभास होता है.न्यायिक अनुशासन के सिद्धांत से बंधे** है। **उच्च न्यायालय या समन्वय पीठ के निष्कर्षों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए**–चारो **पीठों ने पाया कि कोई जांच नहीं की जाती है.वादी जो तथ्यों का पूरा खुलासा किए बिना** और अशुद्ध हाथो से **कार्यवाही शुरू करते हैं** राहत के हकदार नही होते है– याचिका लागत सहित खारिज कर दी गई।

माना गया है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि याचिकाकर्ता पहले ही कई बार दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 340 के प्रावधानों को लागू करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में असफल

रहा है। याचिकाएं या तो प्रतिवादी पर जानबूझकर गलत शपथ पत्र दायर करने के लिए आरोप लगाने या जानबूझकर गलत शपथ पत्र दायर करने के लिए प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी देने के लिए की गई हैं।इस अदालत ने याचिकाकर्ता को उसकी पिछली याचिकाओं में कोई राहत नहीं दी है।वास्तव में, इस न्यायालय ने तुच्छ याचिकाएं दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर लागत लगाने से रोक दिया है।वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे पहले ही एक बार नहीं बल्कि कई बार अंतिम रूप ले चुके हैं।वर्तमान कार्यवाहियों को न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं के रूप में कहा जाना चाहिए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक ही विषय.वस्तु के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा इसी प्रतिवादी के खिलाफ कई समान याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी थीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया था।इस न्यायालय द्वारा

खंड 340 सीआरपीसी के तहत दायर याचिकाओं में याचिकाकर्ता को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करने वाले पहले के आदेश अभी भी सही हैं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें रद्द नहीं किया गया है। मौजूदा याचिका समान कारण पर समान राहत की मांग करने वाली विचारणीय नहीं है।

(पैरा 14)

इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि जिस तरह से याचिकाकर्ता बार–बार ,क ही मुददे पर सीआरपीसी की धारा 340 के तहत याचिकाएं दायर कर रही है, उस पर अदालत अपनी निराशा व्यक्त किए बिना नहीं रह सकती है, जिससे यह आभास बनती है कि वह 'बेंच हंट' में लिप्त है, जिसकी सबसे मजबूत शब्दों में निंदा की जानी चाहिए।यद्यपि न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांत और ऐसे समान

श्री मति विजय लता–याचिकाकर्ता बनाम श्री राजीव अरोड़ा–प्रतिवादी

(अलका सरीज, जे.)

सिद्धांत आपराधिक कार्यवाही में लागू नहीं होते हैं, फिर भी न्यायालय हमारे देश में प्रचलित पदानुक्रमित प्रणाली को ध्यान में रखते हुए न्यायिक अनुशासन के सिद्धांत से बाध्य हैं।उच्च न्यायालय या समन्वय पीठ के निष्कर्षों पर बाद के चरण में इसी तरह की याचिका पर विचार करने वाले

न्यायालय के हाथों गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, जब इसे पहले खारिज कर दिया गया था।

(पैरा 15)

इसके अलावा अदालत ने आगे कहा कि इस न्यायालय की चार समन्वित पीठों ने पाया है कि 1993 के सी. डब्ल्यू. पी. No-1986 में दायर लिखित बयान के संबंध में सी. आर. पी. सी. की खंड 340 के तहत कोई जांच नहीं की गई है और इस न्यायालय को याचिकाकर्ता को इस मुद्दे को फिर से उठाने की अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं मिली है।वर्तमान याचिका समान तथ्यों पर है और वर्तमान याचिका के साथ.साथ पिछली याचिकाओं का मूल समान है।

(पैरा 16)

इसके अलावा अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के साथ–साथ अन्य न्यायालयों द्वारा पारित कई आदेशों को इस न्यायालय से छिपा दिया है।वह अदालत में साफ हाथों से नहीं आई हैं।यह अच्छी तरह से

तय किया गया है कि मुकदमेबाज, जो अदालतों को धोखा देने और गुमराह करने के इरादे से, तथ्यों का पूरा खुलासा किए बिना कार्यवाही शुरू करते हैं, ऐसे मुकदमेबाज अशुद्ध हाथों से आए हैं और राहत के हकदार नहीं हैं।

श्री मति विजय लता–याचिकाकर्ता बनाम श्री राजीव अरोड़ा–प्रतिवादी

(अलका सरीज, जे.)

(पैरा 17)

विजय लता

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

अलका सरीन, जे।

;1द्ध यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 195 (1) (बी) (आई) के साथ पठित खंड 340 के तहत एक याचिका है, जिसमें **1993** सी. डब्ल्यू. पी. 1986 में जानबूझकर गलत शपथ पत्र (झूठी गवाही) दायर करने के अपराध के लिए प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दी

गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट] कुरुक्षेत्र को धोखाधड़ी, जालसाजी और मानहानि

;2द्ध और 2003 की आपराधिक शिकायत No.-231 में आगे की कार्यवाही के लिए निर्देश देने के लिए।

(2) मामले के तथ्यों से पता चलता है कि कैसे आपराधिक न्यायाधीश प्रणाली अनावश्यक मुकदमेबाजी से भरी हुई है और कैसे अदालतें पर कठिन समय के दौरान भी उन मामलों का बोझ डाला जा रहा है जो पहले ही अंतिम रूप प्राप्त कर चुके हैं, यहां तक याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के कुछ हिस्सों को चतुराई से फिर से लिख कर कानून के समान प्रावधानों के तहत समान राहत पाने के लिए पांचवीं बार इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।वह पहले चार मौकों पर असफल रही हैं।

श्री मति विजय लता–याचिकाकर्ता बनाम श्री राजीव अरोड़ा–प्रतिवादी

(अलका सरीज, जे.)

(3) सी. आर. एम.एम.10355–2020 में पारित दिनांक 16.03.2020 मे इस न्यायलय ;अनुलग्नक पी--26) के आदेश से तथ्यों को हटाया गया है।वर्तमान याचिका स्वयं अस्पष्ट रूप से लिखी गई है और याचिकाकर्ता ने जिन कारणों को अच्छी तरह से जानती थी इस न्यायालय के साथ–साथ दीवानी न्यायालय द्वारा पारित कई आदेशों को छिपाया है।

(4) याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में 1993 का सी. डब्ल्यू. पी. No-1986 दाखिल करके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में उनकी वृति समाप्ति/समाप्ति को चुनौती दी थी।प्रतिवादी, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव थे, ने 1993 के उक्त सी. डब्ल्यू. पी. No-1986 में एक जवाबदावा दायर किया।1993 के सी. डब्ल्यू. पी. के संख्या 1986 दिनांक 19.03.1993 (अनुलग्नक पी-9) आदेश को इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था।याचिकाकर्ता ने दिनांकित 19.03.1993 आदेश को वापस लेने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया, लेकिन उक्त आवेदन को 2-04-1993 (अनुलग्नक पी-13) को खारिज कर दिया गया।याचिकाकर्ता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 19-03-1993 और 02-04-1993 दिनांकित दोनों आदेशों को चुनौती दी। हालाँकि, 10-08-1993 (अनुलग्नक पी-14) के आदेश के अनुसार उनकी एसएलपी को खारिज कर दिया गया था।इस प्रकार इन कार्यवाहियों को अंतिम रूप मिल गया है।

(5) इसके बाद याचिकाकर्ता ने 1994 का दीवानी दावा नम्बर 186 दायर किया जिसमें घोषणा की डिक्री और इस प्रभाव के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा के परिणामी डिक्री की मांग की गई कि उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए था और उन्हें बहाल किया जाना चाहिए, जिसमें उनके स्थान पर

श्री मति विजय लता–याचिकाकर्ता बनाम श्री राजीव अरोड़ा–प्रतिवादी

(अलका सरीज, जे.)

एक नरेश कुमार की नियुक्ति को भी चुनौती दी गई थी।उस दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया गया और उक्त बर्खास्तगी के खिलाफ अपील को एक नया दीवानी मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ 19-12-1997 पर वापस ले लिया गया।बाद के नए दीवानी मुकदमे को भी खारिज कर दिया गया और निचली अदालत के फैसले और डिक्री के खिलाफ मुकदमा अपील को 14-05-2002 पर खारिज कर दिया गया।निचली अदालत और अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों और डिक्री को वर्तमान याचिका के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

(6) दीवानी पक्ष में उनके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में असफल होने के बाद, याचिकाकर्ता ने आपराधिक पक्ष पर कार्यवाही की एक श्रृंखला शुरू की।

(7) 2003 में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी और अन्य लोगों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरुक्षेत्र के समक्ष खंड 340 सी. आर. पी. सी. के तहत शिकायत दर्ज की, जिसमें उसने कहा कि आरोपी 1993 के सी. डब्ल्यू. पी. No-1986 में गलत कथन जिसके कारण उनकी उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई थी।आदेश दिनांक 26-05-2007 (अनुलग्नक पी-25) इस शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि चूंकि जवाब, जिसे याचिकाकर्ता ने गलत बताया था, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, इसलिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरुक्षेत्र दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 195 के तहत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता था। याचिकाकर्ता ने उस आदेश के खिलाफ एक अपील (सी आर- एस. ए.1376.एस बी.2007) दायर की जिसे 26-03-2008 पर वापस ले लिया गया।इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 26-03-2008 के आदेश को वर्तमान याचिका के साथ संलग्न नहीं किया गया है।वास्तव में,

श्री मति विजय लता–याचिकाकर्ता बनाम श्री राजीव अरोड़ा–प्रतिवादी

(अलका सरीज, जे.)

वर्तमान याचिका सी. आर. ए..एस..1376.एस. बी..2007 की फाइलिंग और भविष्य के बारे में पूरी तरह से मौन है।

(8) याचिकाकर्ता ने तब इस न्यायालय में पहली याचिका दायर की, जो 1993 की सी. डब्ल्यू. पी. No-1986 में धारा 340 सी. आर. पी. सी. के तहत 2007 की आपराधिक विविध No-M-46849 थी, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि प्रतिवादी पर मुकदमा चलाया जाए, दोषी ठहराया जाए और 1993 की सी. डब्ल्यू. पी. No-1986 में जानबूझकर गलत शपथ पत्र दायर करने के लिए सजा दी जाए।यह याचिका 27.09.2010 को खारिज कर दी गई थी।इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27-09-2010 के आदेश को वर्तमान याचिका के साथ संलग्न नहीं किया गया है।वास्तव में, वर्तमान याचिका 1993 के सी. डब्ल्यू. पी. No-1986 में 2007 के आपराधिक विविध संख्या एम. 46849 के दाखिल करने और भविष्य के बारे में फिर से पूरी तरह से मौन है।

(9) 30-10-2010 पर याचिकाकर्ता ने भा.दं.सं. सी. की खंड 34 के साथ पठित खंड 193,204,420,468 और 500 के तहत अपराधों के लिए प्रतिवादी के अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए 482 सी. आर. पी. सी. के साथ पठित खंड 340 के तहत इस अदालत में दूसरी याचिका सी. आर. एम..एम..32437-2010 दायर की। वर्तमान प्रतिवादी को इस याचिका में प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया था।यह याचिका 12-07-2011 पर खारिज कर दी गई थी।इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.07.2011 के आदेश को वर्तमान याचिका के साथ संलग्न नहीं किया गया है।वास्तव में, वर्तमान याचिका फिर से सी. आर. एम..एम.. 32437–2010 की फाइलिंग और भविष्य के बारे में पूरी तरह से मौन है।दिनांकित 12.07.2011 आदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है

श्री मति विजय लता–याचिकाकर्ता बनाम श्री राजीव अरोड़ा–प्रतिवादी

(अलका सरीज, जे.)

और अन्य बातों के साथ.साथ निम्नानुसार पढा जा सकता है। यह जोड़ा जा सकता है कि प्रथमदृष्टया, रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर शपथ पत्र को गलत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रिट याचिका में प्रस्तुत किया गया था और उसी पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था और इसके बाद ही रिट याचिका खारिज कर दी गई थी।याचिकाकर्ता ने उस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।नतीजतन, यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी अपराध है जैसा कि यचिकाकर्ता द्वारा प्रथमदृष्टया आरोप 304 लगाया गया है। प्रतिवादी द्वारा रिट याचिका में उपरोक्त शपथ पत्र दायर करके किया गया था।

उपरोक्त कारणों से, मुझे तत्काल याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली है, जो पूरी तरह से गलत धारणा है।तदनुसार याचिका खारिज की जाती है।याचिकाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह इस तरह की अनावश्यक मुकदमेबाजी करने से बचें।

(10) **21.03.2017** को याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश की अदालत में एक शिकायत दायर की, जिसमें कहा गया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने 25-01-1991 आयोजित अपनी बैठक में उसे मनोविज्ञान विभाग में व्याख्याता के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी देने के बावजूद, उसे कोई नोटिस दिए बिना, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करके, जानबूझकर और बेईमानी से उसकी सेवाओं को

श्री मति विजय लता–याचिकाकर्ता बनाम श्री राजीव अरोड़ा–प्रतिवादी

(अलका सरीज, जे.)

समाप्त कर दिया गया था, और इसलिए, क्योंकि वह एक अनुसूचित जाति से संबंधित है, उक्त प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध किया गया था।इस शिकायत को 07.08.2018 पर खारिज कर दिया गया था।न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.08.2018 के आदेश को वर्तमान याचिका के साथ संलग्न नहीं किया गया है।वास्तव में, वर्तमान याचिका फिर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत शिकायत दर्ज करने और उसके भविष्य के बारे में पूरी तरह से मौन है।

(11) 31.10.2018 को याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में तीसरी याचिका दायर की जो सी. आर. एम..एम..48956.2018 के रूप में सी. आर. पी. सी. की खंड 340 के तहत दायर की गई थी जिसमे मांग की गई कि

“1993 के सी. डब्ल्यू. पी. No-1986 में जानबूझकर गलत शपथ पत्र (झूठी गवाही) दाखिल करने के लिए आरोप लगाये जाये ;प्रतिवादी के लिखित बयान के पैरा संख्या 6 की अंतिम पंक्ति में कि याचिकाकर्ता की समग्र प्रदर्शन रिपोर्ट खराब थी।

ष्वर्तमान प्रतिवादी को इस याचिका में प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया था।यह याचिका 07.12.2019 पर खारिज कर दी गई थी।इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.12.2019 का आदेश वर्तमान याचिका के साथ संलग्न नहीं किया गया है।वास्तव में, वर्तमान याचिका फिर से सी. आर.एम..एम..48956.2018 की फाइलिंग और भविष्य के बारे में पूरी तरह से चुप है। दिनांक 07.12.2019 को आदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और अन्य बातों के साथ. साथ निम्नानुसार पढा जा सकता हैः “नतीजतन, इस याचिका में याचिकाकर्ता की आवश्यक शिकायत यह है कि शुरू में उनके द्वारा दायर रिट याचिका,

श्री मति विजय लता–याचिकाकर्ता बनाम श्री राजीव अरोड़ा–प्रतिवादी

(अलका सरीज, जे.)

यानी 1993 की सी. डब्ल्यू. पी. नम्बर 1986 अदालत में एक झूठे जवाबदावा के कारण खारिज कर दी गई थी, और निश्चित रूप से इसके अलावा उन्होंने (इस याचिका में) कहा कि उनके खराब प्रदर्शन पर रिपोर्ट जानबूझकर केवल इसलिए प्राप्त की गई थी ताकि उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया जा सके, फिर भी रिट याचिका को ही खारिज कर दिया गया है, उस आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी को भी खारिज कर दिया गया है, और किसी भी झूठे लिखित बयान/हलफनामे आदि के संबंध में उसकी शिकायत को पहले भी दो बार सीआरपीसी की खंड 340 के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने पर खारिज कर दिया गया है, इस याचिका को इस अदालत के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप खारिज कर दिया है।

याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है, केवल इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह व्यक्तिगत रूप से पेश हुई है और स्पष्ट रूप से खुद को भी बार–बार परेशान कर रही है।

(12) 05.03.2020 को याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में चौथी याचिका दायर की जो सी. आर. एम..एम–10355–2020 के रूप में सी. आर. पी. सी. की खंड 340 के तहत दायर की गई थी और प्रार्थना की

"1993 के सी. डब्ल्यू. पी. No-1986 में जानबूझकर गलत शपथ पत्र (झूठी गवाही) दाखिल करने के लिए आरोप लगाये जाये ;प्रतिवादी के लिखित बयान के पैरा संख्या 6 की अंतिम पंक्ति में कि याचिकाकर्ता की समग्र प्रदर्शन रिपोर्ट खराब थी

श्री मति विजय लता–याचिकाकर्ता बनाम श्री राजीव अरोड़ा–प्रतिवादी

(अलका सरीज, जे.)

"--वर्तमान प्रतिवादी को इस याचिका में प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया था।यह याचिका 16.03.2020 पर खारिज कर दी गई थी ;अनुलग्नक पी -26)- अन्य बातों के साथ.साथ 16.03.2020 का आदेश इस निम्नअनुसार पढा जा सकता है:–

".....याचिकाकर्ता के 2018 के अंतिम सी. आर. एम. संख्या.48956 को खारिज करने वाला मूल निर्णय, 07.12.2019 पर पारित विस्तृत आदेश के अनुसार, परिस्थितियों में बरकरार और पूरी तरह से बरकरार है, जिसके कारण, उसी राहत की मांग करने वाली वर्तमान याचिका मान्य नहीं है।

ऐसी परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका स्पष्ट रूप से गैर सुनवाई योग्य पाई जाती है।दूसरी ओर, याचिकाकर्ता इस तरह की तुच्छ याचिका पर इस न्यायालय के बहुमूल्य न्यायिक घंटों को बर्बाद करने के लिए दंडित होने के लिए उत्तरदायी प्रतीत होता है।लेकिन, इस बार उसे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए छोड़ दिया जाता है कि, पहली बात, वह एक महिला है, और दूसरी बात, यह माना जाता है कि वह प्रक्रियात्मक कानून की पेचीदगियों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है।उसे अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी कि अगर वह चाहे तो उस उद्देश्य के लिए किसी सक्षम पेशेवर को नियुक्त करके ही अपना अगला मुकदमा दायर करे।

(13) 17.12.2020 पर याचिकाकर्ता ने इस अदालत में खंड 340 सी. आर. पी. सी. के तहत वर्तमान पांचवीं याचिका दायर की जिसमें ष्मंजूरी देने" का अनुरोध किया गया था।

1993 के सी. डब्ल्यू. पी. No-1986 में जानबूझकर झूठा शपथ पत्र (झूठी गवाही) दायर करने के अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करें ;प्रतिवादी के

श्री मति विजय लता–याचिकाकर्ता बनाम श्री राजीव अरोड़ा–प्रतिवादी

(अलका सरीज, जे.)

लिखित बयान के पैरा संख्या 6 की अंतिम पंक्ति में कि याचिकाकर्ता की समग्र प्रदर्शन रिपोर्ट खराब थी। कोई उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 340 या उसमें पारित आदेशों के तहत इस न्यायालय में दायर उनकी पहली, दूसरी और तीसरी याचिकाओं के बारे में नही किया गया था।चौथी याचिका ;सी. आर. एम..एम..10355-2020) और वर्तमान याचिका के पैरा 14 में पारित आदेश के बारे में यह कहा गया है कि "एक पूर्व याचिका ;सी. आर. एम..एम-) दण्ड प्रक्रिया संहिता की खंड 340 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता की खंड 195 (1) ;बी) के तहत 2020 की खंड 340 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक **16.03.2020** पर कानूनी प्रक्रिया के तकनीकी दोष ;दण्ड प्रक्रिया संहिता की खंड 195 के अनुसार गलत अनुरोध के कारण) के कारण खारिज कर दिया गया था।इस आदेश की प्रति संलग्नक पी–26 है।

(14) उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि याचिकाकर्ता पहले ही कई बार दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 340 के प्रावधानों को लागू करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में असफल रहा है। याचिकाएं या तो प्रतिवादी पर जानबूझकर गलत शपथ पत्र दायर करने के लिए आरोप लगाने या जानबूझकर गलत शपथ पत्र दायर करने के लिए प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी देने के लिए की गई हैं।इस अदालत ने याचिकाकर्ता को उसकी पिछली याचिकाओं में कोई राहत नहीं दी है।वास्तव में, इस न्यायालय ने तुच्छ याचिकाएं दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर लागत लगाने से रोक दिया है।वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे पहले ही एक बार नहीं बल्कि कई बार अंतिम रूप ले चुके हैं।वर्तमान कार्यवाहियों को न्यायालय की प्रक्रिया के

श्री मति विजय लता–याचिकाकर्ता बनाम श्री राजीव अरोड़ा–प्रतिवादी

(अलका सरीज, जे.)

दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं के रूप में कहा किया जाना चाहिए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक ही विषय.वस्तु के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा इसी प्रतिवादी के खिलाफ कई समान याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी थीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया था।इस न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की खंड 340 के तहत दायर याचिकाओं में याचिकाकर्ता को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करने वाले पहले के आदेश अभी भी सही हैं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें रद्द नहीं किया गया है। मौजुदा याचिका समान कारण पर समान राहत की मांग करने वाली विचारणीय नहीं है।

(15) जिस तरह से याचिकाकर्ता बार–बार एक ही मुद्दे पर 340 सी. आर. पी. सी. के तहत याचिकाएं दायर कर रही है, उस पर अदालत अपनी निराशा व्यक्त किए बिना नहीं रह सकती है, जो यह अभास देती है कि वह 'बेंच हंट' में लिप्त है, जिसे सबसे मजबूत शब्दों में अस्वीकार किया जाना चाहिए।यद्यपि न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांत और ऐसे समान सिद्धांत आपराधिक कार्यवाही में लागू नहीं होते हैं, फिर भी न्यायालय हमारे देश में प्रचलित पदानुक्रमित प्रणाली को ध्यान में रखते हुए न्यायिक अनुशासन के सिद्धांत से बाध्य हैं।उच्च न्यायालय या समन्वय पीठ के निष्कर्षों पर बाद के चरण में इसी तरह की याचिका पर विचार करने वाले न्यायालय के हाथों गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, जब इसे पहले खारिज कर दिया गया था।

कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन सवोच्च न्यायलय ने कहा

कि "आम तौर पर, जिन मुद्दों का पहले प्रचार किया गया था, उन्हें उसी आधार पर फिर से सक्रिय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि वे न्यायाधीश के

(अलका सरीज, जे.)

प्रशासन में अटकलों और अनिश्चितता पैदा हो सकती है और फोम हंटींग का कारण बन सकती हैं।

(16) इस न्यायालय की चार समन्वित पीठों ने पाया है कि 1993 के सी. डब्ल्यू. पी. No-1986 में दायर लिखित बयान के संबंध में सी. आर. पी. सी. की खंड 340 के तहत कोई जांच नहीं की गई है और इस न्यायालय को याचिकाकर्ता को इस मुद्दे को फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं मिली है।वर्तमान याचिका समान तथ्यों पर है और वर्तमान याचिका के साथ.साथ पिछली याचिकाओं का मूल समान है।वर्तमान याचिका और पहले की याचिकाओं में किए गए कथनों के अलावा, यहां तक कि वर्तमान याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नक पी–1 से पी–24 भी पी–1 से पी–24 के अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं, जो पहले की याचिकाओं में सी. आर. एम..एम–48956–2018 और सी. आर. एम..एम–10355–2020 हैं, जिनकी पेपरबुक उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।इस प्रकार, इस न्यायालय को वर्तमान याचिका पर विचार करने का कोई उचित कारण नहीं मिला।

(17) इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के साथ.साथ अन्य न्यायालयों द्वारा पारित कई आदेशों को इस न्यायालय से छिपा दिया है।वह अदालत में साफ हाथों से नहीं आई हैं।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि मुकदमेबाज, जो अदालतों को धोखा देने और गुमराह करने के इरादे से, तथ्यों का पूरा खुलासा किए बिना कार्यवाही शुरू करते हैं, ऐसे मुकदमेबाज अशुद्ध हाथों से आते हैं और राहत पाने के हकदार नहीं हैं।दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे (2010) 2 एस. सी. सी. 114, उच्चतम न्यायालय ने

श्री मति विजय लता–याचिकाकर्ता बनाम श्री राजीव अरोड़ा–प्रतिवादी

(अलका सरीज, जे.)

कहा किः पिछले 40 वर्षों में वादियों का एक नया पंथ सामने आया है।जो लोग इस पंथ से संबंधित हैं, उनमें सच्चाई के लिए कोई सम्मान नहीं है।वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेशर्मी से झूठ और अनैतिक साधनों का सहारा लेते हैं।वादियों के इस नए पंथ द्वारा उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए, अदालतों ने समय.समय पर नए नियम विकसित किए हैं और अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि एक वादी, जो की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करता है या जो न्यायाधीश के शुद्ध स्रोत को दूषित हाथों से छूता है, वह किसी भी अंतरिम या अंतिम राहत का हकदार नहीं है।

(18) यहां तक कि याचिकाकर्ता का यह कथन भी गलत और गलत है कि उसके पहले के सी. आर. एम..एम–10355–2020 को सी. आर. पी. सी. की खंड 195 के अनुसार गलत अनुरोध के कारण कानूनी प्रक्रिया के तकनीकी दोष के कारण खारिज कर दिया गया था।

1 (2005) 2 एससीसी 42 308

(19) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका को विचारणीय नहीं माना जाता है और लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। कोविड.19 महामारी के दौरान एक ऐसे मुद्दे पर मूल्यवान न्यायिक समय बर्बाद होने से लागत लगाई जा रही है, जो पहले से ही चार मौकों पर याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्णय लिया जा चुका है।Rs-25,000@- की लागत हरियाणा कोरोना राहत कोष में जमा की जाए।

जे. एस. मेहंदीरत्ता

अस्वीकरणः– स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिये है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिये

श्री मति विजय लता–याचिकाकर्ता बनाम श्री राजीव अरोड़ा–प्रतिवादी

(अलका सरीज, जे.)

इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यो के लिये, निर्णय का अग्रेंजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिये उपयुक्त रहेगा।

राजकुमार